



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### धोखाधड़ी कर फर्जी प्रपत्र बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में ठगी/धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.02.2021 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 65/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज कुमार लोध पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम बरबटा मजरा ककरहा थाना देहात को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से 20 अदद आवेदन पत्र राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं 1 अदद लैपटाप बरामद हुआ है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

**नाम पता अभियुक्त-** मनोज कुमार लोध पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम बरबटा मजरा ककरहा थाना देहात जनपद सीतापुर

**पंजीकृत अभियोग -** मु0अ0सं0 65/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर

**बरामदगी:-** 20 अदद आवेदन पत्र राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं 1 अदद लैपटाप

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री ऋषभ यादव थाना कोतवाली नगर सीतापुर
2. का0 नीरज कुमार थाना कोतवाली नगर सीतापुर
3. का0 विशाल सिंह थाना कोतवाली नगर सीतापुर

